न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
04 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023	02.01.2023	19.07.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

बनाम .....आवेदक

1–श्री अंकित कुमार जैन पुत्र श्री सुशील कुमार जैन निवासी धाकड़ कॉलोनी टोडारायसिंह जिला टोंक विक्रेता मैसर्स अंकित ट्रेडर्स मेन मार्केट सब्जी मण्डी टोडारायसिंह जिला टोंक
2–श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र श्री शान्तिलाल जैन निवासी धाकड़ कॉलोनी टोडारायसिंह जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स अंकित ट्रेडर्स मेन मार्केट सब्जी मण्डी टोडारायसिंह जिला टोंक
3–मैसर्स अंकित ट्रेडर्स मेन मार्केट सब्जी मण्डी टोडारायसिंह जिला टोंक
4–श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता निवासी बी–82 एल.एस. नगर नयाखेडा विद्याधर नगर जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच1–37, रीको इण्ड. एरिया सरना डूंगर झोटवाडा जयपुर राज.
5–मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच1–37, रीको इण्ड. एरिया सरना डूंगर झोटवाडा जयपुर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री दिनेश कुमार शर्मा उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 19.07.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.10.2022 को समय 02:00 पी.एम पर मैसर्स अंकित ट्रेडर्स मेन मार्केट सब्जी मण्डी टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री अंकित कुमार जैन पुत्र श्री सुशील कुमार जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अंकित कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाकर श्री चन्द्रप्रकाश जैन को उक्त फर्म का प्रोपरायटर होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के दुकान में कागज के 10 कार्टून में लगभग 120 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 1–1 लीटर पैक **रिफाइंड पाम ऑयल (केदावत ब्राण्ड)** रखे

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री अंकित कुमार जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **रिफाइंड पाम ऑयल (केदावत ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर एसटी–21 एवं पैकिंग की दिनांक सितम्बर 2022 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1–1 लीटर पैक के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड पाम ऑयल (केदावत ब्राण्ड)** 1–1 लीटर पैक के 4 मूल पैक में से एक–एक पैक वाले नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3291 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3291 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री अंकित कुमार जैन पुत्र श्री सुशील कुमार जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच1–37, रीको इण्ड. एरिया सरना डूंगर झोटवाडा जयपुर राज.का खरीद बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3568 दिनांक 31.10.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2920/एक्ट/2022/2958 दिनांक 18.10.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड पाम ऑयल (केदावत ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर सभी जानकारियां अंकित है,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

केवल Expiry/Use by Date नहीं लिखा होने से उक्त नमूना **मिथ्याछाप** स्तर का होना पाया गया है। खाद्य पदार्थ अन्य सभी मानकों पर सही है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड पाम ऑयल (केदावत ब्राण्ड)** का विकय कर रहे थे, वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइंड पाम ऑयल (केदावत ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 15,000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 19.07.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्यायअतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0